

## पत्र सूचना कार्यालय

भारत सरकार

\*\*\*

भारत सरकार के मुख्यालय में समाचार मीडिया प्रतिनिधियों को प्रत्यायन प्रदान करने के लिए प्रत्यायन दिशा-निर्देश और केन्द्रीय प्रेस समिति के गठन के लिए मानक (19.3.2007 से प्रभावी)

### 1, संक्षिप्त नाम

इन दिशा-निर्देशों को "केन्द्रीय समाचार मीडिया प्रत्यायन दिशा-निर्देश, 1999" कहा जाएगा।

### 2. प्रारंभ और कार्यक्षेत्र

2.1 ये दिशा-निर्देश भारत सरकार के मुख्यालयों में समाचार मीडिया संगठनों के प्रतिनिधियों को प्रत्यायन प्रदान करने के लिए लागू होंगे और इस संबंध में पूर्ववर्ती सभी नियमों का स्थान लेंगे।

### 3. संशोधन

केन्द्रीय प्रेस प्रत्यायन समिति या महानिदेशक(मीडिया व संचार) आवश्यकता पड़ने पर समय-समय पर केन्द्रीय सरकार को इन दिशा-निर्देशों में संशोधन की सिफारिश कर सकते हैं।

### 4. परिभाषा -

4.1 "केन्द्रीय प्रेस प्रत्यायन समिति" का अर्थ है इन दिशा-निर्देशों के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा गठित समिति।

4.2 "समाचार पत्र" की वही परिभाषा होगी जो प्रेस और पुस्तक रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1867 में दी गई है।

4.3 "समाचार मीडिया" में समाचार पत्र, तार सेवा व बेतार सेवा, समाचार एजेन्सियां, समाचार विशेष लेख एजेन्सियां, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एजेन्सी और वे संगठन जो आम जनता से संबंधित समाचारों पर समाचार और टिप्पणियां प्रसारित करते हैं, शामिल होंगे।

4.4 "दैनिक समाचार पत्र" सप्ताह में कम-से-कम 5 दिन या जैसा पी.आर.बी. अधिनियम-में परिभाषित किया गया है, प्रकाशित होना चाहिए।

4.5 "साप्ताहिक और पाक्षिक" समाचारपत्र के एक वर्ग में कम-से-कम क्रमशः 45 या 22 अंक होंगे।

4.6 "महानिदेशक (मीडिया व संचार)" का तात्पर्य है भारत सरकार के महानिदेशक(मीडिया व संचार) जिन्हें इसके बाद महानिदेशक(मीडिया व संचार) कहा जाएगा, जिन्हें पहले प्रधान सूचना अधिकारी (पीआईओ) कहा जाता था।

- 4.7 "श्रमजीवी पत्रकार" से तात्पर्य है कोई भी श्रमजीवी पत्रकार जैसा कि श्रमजीवी पत्रकार और अन्य समाचारपत्र कर्मचारी (सेवा की शर्तें) और विविध उपबंध अधिनियम 1955 में पारिभाषित है।
- 4.8 "प्रत्यायन" से तात्पर्य है सरकार के सूचना के स्रोतों और पत्र सूचना कार्यालय और/या भारत सरकार की अन्य एजेंसियों द्वारा जारी लिखित या चित्रात्मक समाचार सामग्री तक पहुंच की सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से भारत सरकार द्वारा समाचार माध्यमों के प्रतिनिधियों को मान्यता प्रदान करना।
- 4.9 "इलेक्ट्रॉनिक समाचार मीडिया संगठन" (दूरदर्शन या रेडियो) में कोई भी टी.वी./रेडियो समाचार कार्यक्रम निर्माण एकक और टी.वी./रेडियो समाचार एजेंसी शामिल हैं।

## 5. केन्द्रीय प्रेस प्रत्यायन समिति

- 5.1 इन दिशा-निर्देशों के अंतर्गत विहित कार्यों के नि-पादन के लिए भारत सरकार केन्द्रीय प्रेस प्रत्यायन समिति नामक समिति (जिसे इसमें इसके बाद के.प्रे.प्र.स. कहा जाएगा) का गठन करेगी।
- 5.2 के.प्रे.प्र.स. में महानिदेशक (मी. व सं.) अध्यक्ष होंगे और श्रमजीवी पत्रकारों/मीडियाकर्मियों के संघ/संगठनों का प्रतिनिधित्व करने वाले अधिकतम 20 अन्य सदस्य होंगे जो इन दिशा-निर्देशों के अंतर्गत प्रत्यायन हेतु अन्यथा पात्र हों। प्रचालन से संबंधित मामले पर बनी कमेटी तथा विदेशी पत्रकारों/समाचारपत्रों की स्थिति और विदेशी एजेंसियों के संबंध में सलाह देने हेतु महानिदेशक (मी. व सं.), जिन्हें पहले प्रधान सूचना अधिकारी कहा जाता था, आवश्यकता पड़ने पर भारतीय समाचारपत्र रजिस्ट्रार तथा विदेश मंत्रालय के एक्स पी प्रभाग प्रत्येक से एक-एक सदस्य नामित कर सकते हैं। ये दो सदस्य सी.पी.ए.सी. की 21 सदस्यों की सुझाई गई स्ट्रेंथ के अतिरिक्त होंगे।
- 5.3 गठित हो जाने पर के.प्रे.प्र.स. अपनी पहली बैठक के बाद से 2 साल तक की अवधि के लिए कार्य करेगी।
- 5.4 के.प्रे.प्र.स. की बैठकें सामान्यतः तीन माह में एक बार या इससे अधिक बार, जैसा जरूरी समझा जाए, होंगी।
- 5.5 के.प्रे.प्र.स. के निर्णय उपस्थित सदस्यों के बहुमत और मतदान के आधार पर लिए जाएंगे।
- 5.6 के.प्रे.प्र.स. की एक स्थाई उप-समिति होगी, जिसमें दिल्ली के पांच सदस्य होंगे। यह समिति प्रत्यायन के अत्यावश्यक मामलों और अन्य संबंधित मामलों पर विचार करेगी और निर्णय लेगी। ये मामले के.प्रे.प्र.स. की अगली बैठक में समिति के सामने रखे जाएंगे।

5.7 महानिदेशक(मी. व सं.) को उन मामलों में नियमित प्रत्यायन प्रदान करने की शक्ति होगी जिनमें प्रत्यायन प्राप्त समाचार माध्यमों के प्रतिनिधि अपना संगठन बदलकर दूसरे प्रत्यायित संगठन में चले जाते हैं।

## **6. प्रत्यायन की सामान्य शर्तें**

6.1 विभिन्न प्रकार के समाचार मीडिया संगठनों के विभिन्न वर्गों के समाचार माध्यम के प्रतिनिधियों को इन दिशा-निर्देशों के अनुसार तथा इन दिशा-निर्देशों की अनुसूची-1 में दी गई पात्रता शर्तों और अनुसूची 2 व 3 में उल्लिखित कोटा सीमा के अंतर्गत ही प्रत्यायन दिया जाएगा ।

6.2 प्रत्यायन केवल उन्हीं प्रतिनिधियों को दिया जाएगा जो दिल्ली या इसके सीमावर्ती क्षेत्रों में रहते हैं।

6.3 प्रत्यायन समाचार माध्यमों के प्रतिनिधियों को कोई अधिकारिक या विशेष-हैसियत प्रदान नहीं करेगा अपितु यह केवल एक व्यावसायिक श्रमजीवी पत्रकार के रूप में उनकी पहचान को मान्यता देगा ।

6.4 केवल उन्हीं समाचार माध्यम संगठनों के प्रतिनिधियों को प्रत्यायन देने पर विचार किया जाएगा जो संगठन कम से कम लगातार एक वर्ष से कार्य कर रहे हों ।

6.5 प्रकाशनों में प्रकाशित सामग्री का कम से कम 50 प्रतिशत समाचारों और/ या जन सामान्य की रूचि की टिप्पणियों के रूप में होना चाहिए । उसमें भारत सरकार के मुख्यालय से जारी समाचार और सूचना भी शामिल होनी चाहिए ।

6.6 वर्ग विशेष की रूचि की सूचना देने वाले प्रकाशन जैसे गृह पत्रिकाएं/तकनीकी/व्यावसायिक प्रकाशन आदि प्रत्यायन के लिए पात्र नहीं हैं।

6.7 केबल टेलीविजन नेटवर्क के माध्यम से केबल टेलीविजन सेवा उपलब्ध कराने वाले केबल संचालकों के स्वामित्व वाले और उनके द्वारा चलाए जा रहे संगठन प्रत्यायन के लिए पात्र नहीं होंगे ।

6.8 जिन परिस्थितियों के आधार पर प्रत्यायन दिया गया है, उनके समाप्त हो जाने पर प्रत्यायन वापस ले लिया जाएगा । यदि यह पाया जाता है कि प्रत्यायन का गलत प्रयोग किया गया है तो प्रत्यायन वापस लिया/स्थगित किया जा सकता है।

6.9 यदि यह पाया जाता है कि किसी आवेदक या मीडिया संगठन ने झूठी /कपटपूर्ण/जाली सूचना/कागज़ात दिए हैं तो उस प्रतिनिधि/मीडिया संगठन को के.प्रे.प्र.स. द्वारा लिए गए निर्णय के आधार पर अधिकतम 5 वर्ष और कम से कम 2 वर्ष के लिए प्रत्यायन से वंचित किया जा सकता है।

6.10 के.प्रे.प्र.स. को यह अधिकार होगा कि वह प्रत्यायन के लिए सिफारिश करे या उसे अस्वीकार कर दे । प्रत्यायन के सभी मामलों में के.प्रे.प्र.स. का निर्णय अंतिम होगा ।

## 7. प्रत्यायन की प्रक्रिया

- 7.1 प्रत्यायन की प्रक्रिया महानिदेशक(मी. व सं.) द्वारा के.प्रे.प्र.स. के परामर्श से निर्धारित की जाएगी ।
- 7.2 महानिदेशक(मी. व सं.) प्रत्यायन देते समय या इसके नवीकरण के समय या अन्य किसी भी समय प्रत्यायन के मामलों की प्रामाणिकता और विश्वसनीयता सुनिश्चित करने के प्रयोजन से जरूरी समझी जाने वाली कोई भी सूचना और कागज़ात मांग सकते हैं।

**पात्रता की शर्तें**

(नियम 6.1)

(क) समाचार प्रतिनिधि

क्र.सं.	वर्ग	शर्तें
1.	स्वतंत्र पत्रकारों को छोड़कर अन्य वर्गों के पत्रकार/कैमरामैन	समाचार संगठन/संगठनों में पूर्णकालिक पत्रकार/कैमरामैन के रूप में न्यूनतम 5 वर्ष का व्यवसायिक अनुभव । प्रत्यायन चाहने वाले कामकाजी पत्रकार को वेतन बोर्ड की सिफारिशों के परिप्रेक्ष्य में भारत सरकार द्वारा पत्रकारों के लिए अधिसूचित न्यूनतम ग्रेड की कुल परिलब्धियों के बराबर कुल वेतन 1.10.2005 को 4500/-रु० प्रतिमाह) मिल रहा हो। नवीनतम वेतनमान संशोधन को ध्यान में रखा जाएगा । समाचार संगठन की तरफ से प्रत्यायन चाहने वाले पत्रकार को उस संगठन का पूर्णकालिक कामकाजी पत्रकार होना चाहिए और मानदेय/पारिश्रमिक/अंशकालिक आधार पर काम करने वाले पत्रकारों को प्रत्यायन के उद्देश्य से कामकाजी पत्रकार नहीं माना जाएगा।
2.	कैमरामैन-सह-पत्रकार	कैमरामैन/पत्रकार के रूप में पूर्णकालिक पत्रकार का कम से कम 5 वर्षों का व्यावसायिक अनुभव। उनके नियुक्ति पत्र में उनका पदनाम कैमरामैन-सह-पत्रकार लिखा होना चाहिए तथा सम्पादक/संस्था के प्रधान द्वारा इस वर्ग में प्रत्यायन हेतु विशेष रूप से उनकी अनुशंसा की जानी चाहिए।
3.	स्वतंत्र पत्रकार/कैमरामैन	(क) पूर्ण कालिक पत्रकार के रूप में कम से कम 15 वर्षों का व्यावसायिक अनुभव (ख) पत्रकारों तथा स्टिल फोटोग्राफरों के लिए केवल पत्रकारिता कार्यों से प्रति वित्तीय वर्ष कम- से- कम 36,000/-रुपए की वार्षिक आय (ग) टी0वी0 कैमरामैन/संवाददाता सह कैमरामैन के लिए समाचारों से संबंधित कार्यक्रमों से कम से कम 5 लाख रूपए प्रति वर्ष का राजस्व।
4.	दीर्घकालिक तथा विशि-ट सेवा देने वाले पत्रकार	निम्नलिखित शर्तों के अधीन, महानिदेशक(मी. व सं.) दीर्घकालिक तथा विशि-ट सेवा वाले पत्रकारों के वर्ग में स्वतंत्र पत्रकारों को प्रत्यायन कार्ड जारी कर सकते हैं। (क) पत्रकार की आयु 65 वर्ष की हो चुकी हो ।

		<p>(ख) वह प.सू.का. से प्रत्यायित प्रतिष्ठित समाचार संगठन/संगठनों में कम से कम 30 वर्षों तक पत्रकारिता व्यवसाय से जुड़े रहे हों ।</p> <p>(ग) उन्हें कम से कम 20 वर्षों के लिए पत्र सूचना कार्यालय में प्रत्यायित रहा होना चाहिए तथा उनके पास आवेदन की तिथि को वैध प्रत्यायन होना चाहिए।</p> <p>(घ)के.प्रे.प्र.स. में प्रतिनिधित्व वाले पत्रकार संघ/संगठनों द्वारा, उन्हें परिचय पत्र जारी किए जाने हेतु, महानिदेशक(मी. व सं.) को अनुशंसा भेजी जानी चाहिए।</p> <p>(ङ) जारी किए जाने की तारीख से 5 वर्ष की अवधि के लिए प्रत्यायन कार्ड स्वतः ही वार्षिक नवीकरण के लिए पात्र हो जाएगा।</p>
--	--	--

(ख) समाचार संगठन(प्रिंट मीडिया)

क्र.स.	वर्ग	शर्तें
1.	समाचार-पत्र (दैनिक)	प्रत्येक प्रकाशन दिनों में 6 फुल साइज अथवा टेबलाइड आकार में 12 पृ-ठों की कम-से-कम 10,000 प्रतियों का प्रसार होना चाहिए।
2.	समाचार-पत्र(साप्ताहिक/पाक्षिक)	प्रत्येक प्रकाशन दिवस में कम-से-कम 10,000 प्रतियों का प्रसार होना चाहिए । साप्ताहिक समाचार पत्र का आकार 6 फुल साइज पृ-ठ अथवा टेबलाइड आकार में 12 पृ-ठों की तथा पाक्षिक समाचार पत्र का आकार 8 फुल साइज अथवा टेबलाइड आकार की 16 पृ-ठों का होना चाहिए ।
3.	पत्रिकाएं/मैगज़ीन(केवलपाक्षिक तक)	प्रत्येक प्रकाशन दिवस में न्यूनतम 40 पृ-ठों की कम से कम 10,000 प्रतियों का प्रसार होना चाहिए ।
4.	तार समाचार एजेंसी	(क) जिनका वार्षिक राजस्व 20 लाख रूपए से कम नहीं है । (ख) कम-से-कम 30 अभिदाता ग्राहक होने चाहिए ।
5.	समाचार फोटो एजेंसी/समाचार फीचर एजेंसी	(क) वार्षिक राजस्व 2.50 लाख रूपए से कम नहीं होना चाहिए । (ख) कम से कम 20 अभिदाता ग्राहक होने चाहिए ।

(ग) समाचार संगठन (इलेक्ट्रॉनिक मीडिया)

क्र.स.	वर्ग	शर्तें
1.	<p>टी0वी0 प्रोग्राम निर्माण/प्रसारण संगठन</p> <p>(i) टी0वी0/रेडियो समाचार निर्माण संगठन जिनके पास चैनलों/केन्द्रों के साथ प्रसारण समय (एयर टाइम) की व्यवस्था हो।</p> <p>(ii) सैटेलाइट चैनल</p> <p>(iii) टी0वी0 चैनल/स्टेशनों के साथ टेलिकास्ट/प्रसारण संबंध रखने वाले समाचार पत्रिका निर्माण संगठन</p>	<p>उनके पास प्रतिदिन न्यूनतम 30 मिनट की अवधि का कम-से-कम एक न्यूज़ बुलेटिन प्रोग्राम होना चाहिए। उनके प्रसारण समय (एयर टाइम) का कम-से-कम 15 प्रतिशत समय (अर्थात् 24 घंटे के चक्र में लगभग 3.5 घंटे) प्रतिदिन समाचार और उनसे संबंधित कार्यक्रमों के प्रसारण के लिए हो।</p> <p>समाचारों और उनसे संबंधित वि-यों पर प्रति सप्ताह 60 मिनट की अवधि का न्यूनतम कुल संचयी कार्यक्रम।</p>
2.	टेलीविज़न समाचार एजेंसी	<p>(क) समाचार क्लिप्स आदि से न्यूनतम 20 लाख रूपए वार्षिक का राजस्व।</p> <p>(ख) कम-से-कम 5 सैटेलाइट टी0वी0/न्यूज़ प्रसारण संगठन अभिदाताओं को नियमित आधार पर समाचार क्लिप्स की आपूर्ति करते हों।</p>
3.	रेडियो समाचार एजेंसी	<p>(क) समाचार क्लिप्स आदि से कम-से-कम 15 लाख रूपए का वार्षिक राजस्व।</p> <p>(ख) कम-से-कम 5 रेडियो संगठन अभिदाता को नियमित आधार पर समाचार क्लिप्स की आपूर्ति करते हों।</p>
4.	ऑन लाइन मीडिया	<p>1. प्रिंट तथा दृश्य मीडिया के प्रतिनिधियों के लिए निर्धारित सामान्य नियम व शर्तें ऑनलाइन संपादकों, पत्रकारों, कैमरामैनों के लिए भी लागू होगी।</p> <p>2. समाचार साइट/पोर्टल का अर्थ है ऐसी वेबसाइट जिसमें देखने लायक वि-यों का कम से कम एक तिहाई भाग समाचारों तथा उनके अपने पत्रकारों द्वारा मौलिक रूप से इकट्ठा की गई सामयिक सामग्री हो।</p> <p>3. जिन प्रकाशनों के पक्ष में पत्रकारों को पहले ही प्रत्यायन प्रदान किया जा चुका है वे प्रकाशन अपने वर्तमान कोटा के अधीन ही अपने ऑनलाइन पत्रकारों को व्यवस्थित करेंगे।</p> <p>4. साइट के पास प्रदत्त ग्राहक होने चाहिए। तथापि इसके लिए अभी ग्राहकों पर जोर नहीं दिया जाएगा लेकिन ग्राहकों वाले समाचार साइटों को कुछ वरीयता दी जाएगी।</p> <p>5. ऑनलाइन समाचार एजेंसियां भी समाचार एजेंसियों</p>

	<p>के लिए निर्धारित वर्तमान नियमों से शासित होंगी ।</p> <p>6. इन साइटों के पास या तो केवल समाचार भाग से 20 लाख रूपए अथवा सम्पूर्ण वेबसाइट से 2.5 करोड़ रूपए, जिनमें समाचार-भाग भी शामिल है, का कम से कम वार्षिक राजस्व हो ।</p> <p>7. इन साइटों को नियमित रूप से कम-से-कम 6 बार प्रतिदिन अद्यतन किया जाना चाहिए।</p> <p>8. वि-य,सेवा, प्रोन्नति, वित्त तथा क्रियाकलाप के अन्य पहलुओं के संबंध में समाचार पोर्टल को देश के कानूनों का पालन करना चाहिए।</p> <p>9. समाचार साइट कम-से-कम एक वर्ग से कार्यशील हो ।</p> <p>10. साइट का डोमेन नाम आवेदन की तिथि से कम-से-कम 5 वर्षों के लिए पंजीकृत हो ।</p> <p>11. साइट के समाचार पोर्टल के प्रतिदिन कम से कम 10,000 पृ-ठ देखे जाते हो ।</p> <p>12. संदेह की स्थिति में साइट की प्रामाणिकता का निर्धारण विदेश संचार निगम लि0 के परामर्श से किया जाएगा ।</p> <p>13. यदि अब या भवि-य में कोई वेबसाइट/पोर्टल साइबर अपराध की किसी गतिविधि में शामिल पाया जाता है तो उस वेबसाइट/पोर्टल के प्रतिनिधियों को दिया गया प्रत्यायन महानिदेशक(मी.व सं.) के स्वनिर्णय पर वापस ले लिया जाएगा ।</p>
--	--

(घ) इस सूची के भाग (क), (ख) तथा (ग), में वर्णित वही पात्रताएं विदेशी समाचार माध्यम प्रतिनिधियों तथा संगठनों पर भी लागू होंगी । तथापि कोई विदेशी स्वतंत्र पत्रकार प्रत्यायन के पात्र नहीं होंगे ।

समाचार पत्रों/मीडिया संगठनों की विभिन्न श्रेणियों के लिए निर्धारित कोटे की अनुसूची

(नियम 6.1)

प्रिंट मीडिया

1.	<b>शृंखलाओं तथा सामान्य स्वामित्व इकाईयों से संबंधित समाचार पत्र तथा उनका सकल प्रसार</b>	<u>प्रत्यायन की अधिकतम संख्या</u>
1.	75000 तथा एक लाख के बीच	15
2.	1 लाख तथा 2 लाख के बीच	18
3.	2 लाख तथा 3 लाख के बीच	33
4.	3 लाख तथा 5 लाख के बीच	45
5.	5 लाख तथा 10 लाख के बीच	60
6.	10 लाख तथा उससे अधिक	67
2.	<b><u>दैनिक तथा उनका प्रसार</u></b>	
1.	10,000 तथा 15,000 के बीच	01
2.	15,000 तथा 25,000 के बीच	03
3.	25,000 तथा 35,000 के बीच	04
4.	35,000 तथा 50,000 के बीच	06
5.	50,000 तथा 75,000 के बीच	07
6.	75,000 तथा एक लाख के बीच	12
7.	1 लाख तथा उससे अधिक	15
3.	<b><u>पत्रिकाएं तथा उनका प्रसार</u></b>	
1.	10,000 तथा 25,000 के बीच	03
2.	25,000 तथा 75,000 के बीच	04
3.	75,000 तथा 1 लाख के बीच	06
4.	1 लाख से 1.5 लाख के बीच	09
5.	1.5 लाख तथा 2 लाख के बीच	12
6.	2 लाख तथा उससे अधिक	18
7.	सामान्य स्वामित्व वाली शृंखलाओं से संबंधित पत्रिकाएं/ बहु-भाषी संस्करण तथा जिनका संयुक्त प्रसार 5 लाख से अधिक है ।	22
4.	समाचार पत्रों के कार्टूनिस्ट तथा कार्टोग्राफर	01 (प्रत्येक)

<b>5.</b>	<b><u>कैमरामैन</u></b>	
1.	10,000 तथा 25,000 के बीच प्रसार	02
2.	25,000 तथा 1 लाख के बीच प्रसार	04
3.	1 लाख तथा 5 लाख के बीच प्रसार	12
4.	5 लाख से अधिक का प्रसार	22
<b>6.</b>	<b><u>समाचार एजेंसियां (तार सहित) तथा उनका सकल वार्षिक राजस्व</u></b>	
1.	20 लाख रूपए तथा 1 करोड़ रूपए के बीच	18
2.	1 करोड़ रूपए तथा 5 करोड़ रूपए के बीच	27
3.	5 करोड़ रूपए तथा 10 करोड़ रूपए के बीच	37
4.	10 करोड़ रूपए तथा उससे अधिक (जो एक अथवा अधिक भा-नाओं में सेवाएं प्रदान करते हैं)	60
<b>7.</b>	<b><u>न्यूज़ फीचर एजेंसियां तथा उनका सकल वार्षिक राजस्व</u></b>	
1.	2.5 लाख रूपए तथा 5 लाख रूपए के बीच	03
2.	5 लाख रूपए तथा उससे अधिक	06
<b>8.</b>	<b><u>भारतीय न्यूज़ फोटो एजेंसियां तथा उनका सकल वार्षिक राजस्व</u></b>	
1.	2.5 लाख रूपए तथा 5 लाख रूपए के बीच	03
2.	5 लाख रूपए तथा उससे अधिक	07
3.	फोटो (तार) एजेंसियां	15
<b>9.</b>	<b><u>विदेशी दैनिक तथा पत्रिकाएं</u></b>	<b>07</b>
<b>10.</b>	<b><u>विदेशी न्यूज़ एजेंसियां</u></b>	
1.	विदेशी न्यूज़ एजेंसियां	15
2.	विदेशी फोटो न्यूज़ एजेंसियां	07

**इलैक्ट्रॉनिक मीडिया की विभिन्न श्रेणियों के लिए निर्धारित कोटे की अनुसूची**  
(नियम 6.1)

1. **टी.वी. न्यूज प्रोडक्शन/टेलीकास्ट/संगठन**
- न्यूनतम 30 मिनट प्रतिदिन के समाचार बुलेटिन/सामयिक मामलों संबंधी कार्यक्रमों वाला इलैक्ट्रॉनिक मीडिया संगठन 5 कैमरामैन तथा 5 संवाददाता
  - 30 मिनट तथा 2 घंटे प्रतिदिन के समाचार बुलेटिन/सामयिक मामलों संबंधी कार्यक्रमों वाला इलैक्ट्रॉनिक मीडिया संगठन 8 कैमरामैन तथा 8 संवाददाता
  - 2 घंटे से अधिक प्रतिदिन के समाचार बुलेटिन/सामयिक मामलों संबंधी कार्यक्रमों वाला इलैक्ट्रॉनिक मीडिया संगठन 15 कैमरामैन तथा 15 संवाददाता
  - समाचार तथा समाचारों से संबंधित विनयों पर प्रति सप्ताह न्यूनतम सकल 60 मिनट का कार्यक्रम प्रस्तुत करने वाला टी.वी. कार्यक्रम निर्माण/ टेलीकास्ट संगठन 3 कैमरामैन तथा 3 संवाददाता

2. **इलैक्ट्रॉनिक मीडिया समाचार एजेंसियां**

समाचार तथा समाचार संबंधी कार्यक्रमों से संबंधित टी.वी./रेडियो न्यूज एजेंसियों के लिए प्रत्यायन कोटा प्रमाणित राजस्व के अनुसार निम्नलिखित होगा:

(क) **रेडियो न्यूज एजेंसियां**

- प्रति वर्ग 15 लाख रू० से 25 लाख रूपए का राजस्व 3 कैमरामैन तथा 3 संवाददाता
- प्रतिवर्ग 25 लाख रू० से 75 लाख रूपए का राजस्व 6 कैमरामैन तथा 6 संवाददाता
- प्रतिवर्ग 75 लाख रू० से अधिक तथा 2 करोड़ रूपए तक का राजस्व 9 कैमरामैन तथा 9 संवाददाता
- प्रति वर्ग 2 करोड़ रू० से अधिक तथा 10 करोड़ रू० तक का राजस्व 12 कैमरामैन तथा 12 संवाददाता
- प्रतिवर्ग 10 करोड़ रूपए से अधिक का राजस्व 15 कैमरामैन तथा 15 संवाददाता

(ख) **टी० वी० न्यूज एजेंसियां**

- प्रति वर्ग 20 लाख रू० से 2.5 करोड़ रू० तक का राजस्व 3 कैमरामैन तथा 3 संवाददाता

- प्रतिवर्ष 2.5 करोड़ ₹ से अधिक तथा 5 करोड़ रूपए तक का राजस्व 6 कैमरामैन तथा 6 संवाददाता
- प्रतिवर्ष 5 करोड़ ₹ से 10 करोड़ रूपए तक का राजस्व 9 कैमरामैन तथा 9 संवाददाता
- प्रति वर्ष 10 करोड़ ₹ से अधिक का राजस्व 12 कैमरामैन तथा 12 संवाददाता

### 3. विदेशी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया

- रेडियो ब्राडकास्टिंग संगठन 4 संवाददाता
- टी.वी. न्यूज टेलीकास्टिंग संगठन तथा न्यूज एजेंसियां 8 दल जिसके प्रत्येक दल में एक कैमरामैन तथा एक संवाददाता होगा ।
- समाचार तथा सामयिक कार्यक्रम का हर घंटे प्रसारण करने वाले टी0वी0 तथा न्यूज चैनल 12 दल जिसके प्रत्येक दल में एक कैमरामैन तथा एक संवाददाता होगा ।

### 4. ऑनलाइन मीडिया

वार्निक राजस्व	कोटा
केवल समाचार अशंदान से अर्जित 20 लाख रूपए से 1 करोड़ रूपए तक का वार्निक राजस्व <b>अथवा</b> सम्पूर्ण वेबसाइट से 2.5 करोड़ ₹ से 5 करोड़ रूपए तक का वार्निक राजस्व	3 संवाददाता तथा 1 कैमरामैन
केवल समाचार अशंदान से अर्जित 1 करोड़ रूपए से 2.5 करोड़ रूपए तक का वार्निक राजस्व <b>अथवा</b> सम्पूर्ण वेबसाइट से 5 करोड़ रूपए से 7.5 तक का वार्निक राजस्व	6 संवाददाता तथा 2 कैमरामैन
केवल समाचार अशंदान से अर्जित 2.5 करोड़ रूपए से 5 करोड़ रूपए तक का वार्निक राजस्व <b>अथवा</b> सम्पूर्ण वेबसाइट से 7.5 करोड़ ₹ से 10 करोड़ रूपए का वार्निक राजस्व	12 संवाददाता तथा 4 कैमरामैन
केवल समाचार अशंदान से अर्जित 5 करोड़ रूपए से अधिक का वार्निक राजस्व <b>अथवा</b> सम्पूर्ण वेबसाइट से 10 करोड़ ₹ से अधिक का वार्निक राजस्व	15 संवाददाता तथा 5 कैमरामैन

\*\*\*\*